आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आर्म्स अपील वाद संख्या–135/2022

सकील अहमद

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.02.2023	प्रस्तुत अपीलवद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.–2900/2018 में दिनांक 08.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं0–05/2018 में दिनांक 22.01.2019 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला दण्डाधिकारी, द्वारा अपीलकर्ता के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित समादेश दिनांक 08.03.2022 में अंकित है किः– **" Learned counsel for the petitioner submits that during the pendency of this application, the District Magistrate, West Champaran, has passed the order and rejected the claim of grant of Arms license to the petitioner and he intends to file an appeal before the appellate authority, for which he seeks permission to withdraw this application, with liberty to file an appeal."**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई एवं अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना गया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता अनुज्ञप्ति हेतु सभी शर्ते पूरी करते है एवं उनके पास पन्द्रह (15) एकड़ भूमि है तथा जब वे (अपीलकर्ता) जन प्रतिनिधि के पद पर वर्ष 2008 में थे तो एन0पी0बोर0 राईफल के अनुज्ञप्ति हेतु जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के समक्ष आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पर आरक्षी अधीक्षक, बगहा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्ता से आवश्यक कागजात की मांग की गई, जिसे अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.05.2009 को समर्पित कर दिया गया। इसके बाद जिला शस्त्र दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 585/शस्त्र दिनांक 27.10.2009 के द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 02.11.2019 को उपस्थित होने हेतु सूचना दिया, जिसके आलोक में उक्त निर्धारित तिथि को अपीलकर्ता उपस्थित हुए परन्तु उनका साक्षात्कार नहीं लिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में भी शिकायत किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नही हुई। इसके बाद अपीलकर्ता वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत–सवेया का उप मुखिया चुना गया तथा वर्ष 2016 मे उसी पंचायत का मुखिया भी चुना गया जिससे उन्हें आर्म्स अनुज्ञप्ति लेना और आवश्यक हो गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा है कि जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपीलकर्ता को सुने बगैर उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को रद्द कर दिया, जो गलत है।

सरकारी अधिवक्ता ने विरोध करते हुए पक्ष रखा कि सिर्फ जन प्रतिनिधि होना ही शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करने का मानक नहीं है। वर्तमान में तो अपीलकर्ता जन प्रतिनिधि भी नहीं है एवं जिला दंडाधिकारी ने सुनवाई के बाद मुखर आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अपीलकर्त्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपनी अपील दायर की गयी है। जिला शस्त्र दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने ज्ञापांक 202 दिनांक 10.10.2018 से अपीलकर्ता को दिनांक 13.10.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना निर्गत किया गया था, जिसका तामिला दिनांक 12.10.2018 को सकील अहमद द्वारा स्वयं किया गया है, जिससे उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उन्हें कोई सूचना दिये बगैर जिला शस्त्र दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने आदेश पारित कर दिया है। अपीलकर्ता का शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दावा केवल जन प्रतिनिधि होने के आधार पर है। इस संबंध मे निम्न न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपने उपर आसन्न खतरे के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। साथ ही आवेदक का निवास स्थान का क्षेत्र उग्रवाद, आतंकवाद, चरमपंथ से प्रभावित नहीं है एवं निम्न न्यायालय ने Arms Rules 2016 की धारा 12(2),(क) के अनुसार आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

अब जहां तक अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि वे अनुज्ञप्ति हेतु सभी शर्ते पूरी करते है, इसलिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं दिया जाना उचित नहीं है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है तथा यह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी की संतुष्टि/विवेक पर निर्भर है कि वह किसी शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर उसके गुण दोष एवं शस्त्र की आवश्यकता के **Cogent Reasons** के आधार पर विचारोपरान्त निर्णय ले एवं यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी यह पाते है कि किसी मामले में अनुज्ञप्ति आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है तो उसे स्पष्ट कारणों के साथ अस्वीकृत

WEB COPY NOT OFFICIAL

करने का अधिकार अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त है । ऐसी स्थिति में यदि अपीलकर्त्ता के मामले में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने यह पाया है कि उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है तो जिला दण्डाधिकारी का आदेश तभी त्रुटिपूर्ण हो सकता है जबकि उनका आदेश मुखर नहीं हो अथवा उस आदेश में अस्वीकृति के कारण स्पष्ट नहीं किये गये हो । परन्तु प्रस्तुत मामले में जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से इनके मामले में यह अंकित करते हुए कि अपीलकर्त्ता अपने उपर आसन्न खतरे के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है कि उन्हें किससे एवं किस प्रकार का खतरा है तथा साथ ही जब से इनके द्वारा आवेदन दिया गया है उस समय से आज तक न तो इनके उपर कोई हमला हुआ और न ही इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज की गयी जिससे यह प्रतीत हो कि उन्हें खतरा है एवं कोई घटना घटित हो सकती है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा इनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त अपने मुखर निष्कर्ष के साथ यह पाते हुए कि उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को सकारण अस्वीकृत किया गया है जिससे पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL